भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग
ऊपरी यमुना मण्डल

कालिंदी भवन, बी-5, तारा क्रिसेंट रोड,
कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

पत्रांक संख्या: - 1/3/4/UYD-2019/ 207-10 दिनांक: 08/01/2019

कोटेशन आमंत्रण सूचना

(NIQ No.:09/2018-19/UYD/Delhi)

भारत के राष्ट्रपति के ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार ऊपरी यमुना मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में मासिक जी.एस.टी. फ़ाईलिंग कार्य हेतु कोटेशन आमंत्रित किए जाते है। इच्छुक प्रतिष्ठित फ़र्म संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपनी कोटेशन बंद लिफ़ाफ़े में दिनांक 15.01.2019 को अपराहन 10:30 बजे तक जमा करा सकते है। कोटेशन उसी दिन अपराहन 11:00 बजे इच्छुक कोटेशनदाताओं या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी।
कार्य की सूची एवं विशिष्टियाँ (**Specifications**): संलग्न विवरण के अनुसार।

नियम एवं शर्तें:

1. उपरोक्त कार्य जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक के लिए है।
2. उपरोक्त कार्य से संबन्धित जानकारी कार्यालय से एकत्रित करना फ़र्म की ही ज़िम्मेदारी होगी।
3. कोटेशन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में फ़र्म के लेटर पैड पर होनी चाहिए।
4. कोटेशन आमंत्रण सूचना नंबर एवं खोलने की तारीख लिफ़ाफ़े के ऊपर लिखी होनी चाहिए।
5. दरों को शब्दों एवं संख्या दोनों में लिखा होना चाहिए।
6. दरें सभी कर अथवा अन्य प्रभार सहित होनी चाहिए। बोली दरों के अतिरिक्त विभाग कोई भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
7. सभी कटिंग्स एवं ओवर राइटिंग्स प्रतिष्ठान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए।
8. कोटेशन में दर्शायी गयी दरें 90 दिन तक लागू होगी इस मुद्दे पर किसी कोटेशनदाता की चुप्पी उसकी सहमति मानी जाएगी।
9. सभी कार्य विशिष्टियों(Specifications) के अनुसार कार्य आदेश जारी होने से 31.03.2020 तक पूरा करना अनिवार्य होगा। कार्य को बीच में छोड़कर जाने की स्थिति में फ़र्म को विभाग में ब्लेकलिस्टेड/ बैन कर दिया जाएगा।
10. इस कार्य में प्रतिभागिता करने हेतु कुल 1,000/- की धरोहर राशि का एफ.डी.आर. अधिशासी अभियंता, ऊपरी यमुना मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग के पक्ष में जो कि नयी दिल्ली शाखा में देय एवं माह जून 2020 तक वैध हो, अन्य प्रपत्रों के साथ संलग्न कर भेजना है।बिना धरोहर राशि वाले कोटेशन रद्द कर दिये जाएंगे।
11. सफल प्रतिभागी की धरोहर राशि कार्य पूर्ण होने के उपरांत रिलीज की जाएगी।
12. कार्य का भुगतान त्रेमासिक आधार पर किया जाएगा।
13. यह कार्य प्रत्येक माह की 07 तारीख से पहले पूरा करना फ़र्म की ज़िम्मेदारी है। फाइलिंग करने में किसी भी त्रुटि के लिए फ़र्म ज़िम्मेदार होगी एवं किसी भी त्रुटि के लिए पेनल्टी का भुगतान फ़र्म की ज़िम्मेदारी होगी।

14. कार्य पूरा होने पर इस कार्यालय में पूर्व प्राप्ति बिल (प्री-रिसिप्टेड बिल) दो प्रतियों में भेजना होगा। बिल में धनराशि अंकों तथा शब्दों दोनों में लिखा होना चाहिए। तत्पश्चात भुगतान PFMS के माध्यम से किया जाएगा।

15. शर्तों के साथ भेजे गए कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

16. सही से कार्य नहीं होने पर कोटेड रेट प्रति मद से दुगुनी पेनल्टी लगाई जाएगी एवं धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

17. कार्य आदेश की मात्रा घटाने या बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

18. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी कोटेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं सम्पूर्ण कोटेशन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

19. निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाला कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. फ़र्म GST पंजीकृत होनी चाहिए एवं GST संख्या कोटेशन में दर्शायी होनी चाहिए। साथ ही फ़र्म जीएसटी वैबसाइट पर बतौर जीएसटी प्रेक्टिश्नर रजिस्टर्ड होना चाहिए और वह जीएसटी प्रेक्टिश्नर सरकारी विभागों/डीडीओ की तरफ से जीएसटी फाइल करने के लिए अधिकृत होनी चाहिए।

21. कोटेशन फार्म-1 एवं 2 को पूर्णतया: भरकर ही जमा करना होगा, संशयात्मक स्थिति एवं अधूरी सूचना की स्थिति में कोटेशन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट https://www.cwc.gov.in देखे।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

09.01.19
(शोभित चन्द्र मिश्रा)
अधिशासी अभियंता

प्रतिलिपि:

1. अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, वैशाली।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली।
3. उप मंडलीय अभियंता (मु.), ऊपरी यमुना मण्डल, नयी दिल्ली।
4. लेखानुभाग।
5. सूचना पट्ट।

फॉर्म संख्या:-1

कार्य का नाम: "ऊपरी यमुना मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में मासिक जी.एस.टी. फ़ाईलिंग का कार्य "।

1	Name of Company/ Firm / Agency (Attach certificate of registration):	
2	Name of proprietor / Director of Company / Firm / agency:	
3	Full Address of Reg. Office :	
4	Telephone No.	
5	FAX No.	
6	E-Mail Address :	
7	Full address of Operating/ Branch Office :	
	Telephone No.	
	FAX No.	
	E-Mail Address :	
8	PAN No. (Attach attested copy)	
9	GST Registration No. (Attach attested copy)	
10	Give details of the major similar contracts handled by the tendering Company / Firm /Agency during the last five years (attach copy)	
12	Additional information, if any (Attach separate sheet, if required)	

स्थान: अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

दिनांक: अधिकृत व्यक्ति का नाम:

एजेंसी/ फ़र्म की सील:

फ़ॉर्म संख्या-2

मात्रा की अनुसूची

कार्य का नाम: "ऊपरी यमुना मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में मासिक जी.एस.टी. फ़ाईलिंग का कार्य"।

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	दर प्रति माह रुपये में		कुल राशि
			अंकों में	शब्दों में	
1	Data Entry, Monthly submission of GSTR 7 Generation of Challan, Generation of form GSTR 7A & Submission of monthly returns for GST TDS deducted.	15 माह			

(शोभित चन्द्र मिश्रा) 08.01.19
अधिशासी अभियंता
ऊपरी यमुना मण्डल

एजेंसी/ फ़र्म का नाम एवं सील: